उ० प्र० अग्नि शमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली, 1984[1]

भाग-एक—सामान्य

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश अग्नि शमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली, 1984 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—सेवा की प्रास्थिति—उत्तर प्रदेश अग्नि शमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह "क" और "ख" के पद समाविष्ट हैं।

3—परिभाषाएं—(1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त अग्नि शमन सेवा अधिनियम, 1944 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3 सन् 1944) से है;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्यपाल से है;

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(ङ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(च) "महानिदेशक और महानिरीक्षक" का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है;

(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अग्निशमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा से है;

(ट) "सचिव" का तात्पर्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, गृह विभाग से है;

(ठ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों के द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार, चयन के पश्चात् की गयी हो;

---

1. यह नियमावली—अधिसूचना संख्या 528/आठ-(8)-42-72, दिनांक 17 जुलाई, 1984 द्वारा उ० प्र० सरकारी गजट के भाग 1-क में दिनांक 5 जनवरी, 1985 को प्रकाशित हुयी।

(ड) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं, यदि परिभाषित हों।

भाग-दो—संवर्ग

4—सेवा का संवर्ग—(1) सेवा की सदस्य-संख्या, और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है :

परन्तु :— (क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(ख) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझें।

भाग तीन—भर्ती

5—भर्ती का स्रोत विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी :

(एक) निदेशक—स्थायी संयुक्त निदेशक की पदोन्नति द्वारा और यदि कोई स्थायी संयुक्त निदेशक न हो तो स्थानापन्न संयुक्त निदेशक का, जो किसी अवर पद पर स्थायी हो, पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यह संयुक्त निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति को पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझा जाय तो निदेशक का पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जायगा और ऐसी सीधी भर्ती होने तक, भारतीय पुलिस सेवा के किसी अधिकारी को, जो उप महानिरीक्षक से निम्न पद का न हो, बिल्कुल तदर्थ आधार पर, प्रतिनियुक्ति पर लेकर नियुक्त किया जा सकेगा।

(दो) संयुक्त निदेशक स्थायी उप निदेशक (प्राविधिक) और स्थायी कमाण्डेन्ट अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र में से पदोन्नति द्वारा और यदि स्थायी उप निदेशक (प्राविधिक) और स्थायी कमाण्डेन्ट, अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र न हों तो इन पदों के स्थानापन्न पदधारियों को जो किसी अवर पद पर स्थायी हो, पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यदि उप निदेशक (प्राविधिक) और कमाण्डेन्ट, अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र के पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझा जाय तो इस पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायगा और ऐसी सीधी भर्ती होने तक भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के ज्येष्ठ वेतन-मान के किसी अधिकारी को बिल्कुल तदर्थ आधार पर प्रति नियुक्ति पर लिया जा सकता है।

(तीन) उप निदेशक (प्राविधिक) और कमाण्डेन्ट, अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र—स्थायी मुख्य अग्नि शमन अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा

(चार) मुख्य अग्नि शमन अधिकारी—(एक) आयोग के माध्यम से 50 प्रतिशत पद स्थायी अग्नि शमन केन्द्राधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा।

(दो) 50 प्रतिशत पद, आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

6—आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग चार—अर्हतायें

7— राष्ट्रिकता—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायगा जब कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इस शर्त पर अनन्तिम् रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8—शैक्षिक अर्हतायें—निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिए :

पद	अनिवार्य अर्हतायें
निदेशक	(एक) नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर से फायर इंजीनियरिंग में तीन वर्ष की उपाधि या सदृश प्रास्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कोई समकक्ष उपाधि।
	या
	नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर से डिवीजनल आफिसर्स कोर्स या सदृश प्रास्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष कोर्स किया हो।

(दो) किसी ख्याति प्राप्त अग्निशमन सेवा संगठन में पूर्णकालिक सेवा का कम से कम दस वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव किसी उत्तरदायी पद पर कार्य करने का होना चाहिए।

अधिमानी अर्हताएं

अग्निशमन में प्रशिक्षण देने और उसका आयोजन करने की क्षमता।

अनिवार्य अर्हताएं

संयुक्त निदेशक (एक) नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर से फायर इंजीनियरिंग में तीन वर्ष की उपाधि या सदृश प्रास्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कोई समकक्ष उपाधि।

या

नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर से डिवीजनल आफिसर्स कोर्स या सदृश प्रास्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष कोर्स किया हो।

(दो) किसी ख्याति प्राप्त अग्निशमन सेवा संगठन में पूर्णकालिक सेवा का कम से कम आठ वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम चार वर्ष का अनुभव किसी उत्तरदायी पद पर कार्य करने का होना चाहिए।

अधिमानी अर्हता

अग्निशमन में प्रशिक्षण देने और उसका आयोजन करने की क्षमता।

अनिवार्य अर्हताएं

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी—नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर से फायर इंजीनियरिंग में तीन वर्ष की उपाधि या सदृश प्रास्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कोई समकक्ष उपाधि।

या

नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर से डिवीजनल आफिसर्स कोर्स या सदृश प्रास्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम।

अधिमानी अर्हताएं

(एक) मोटर गाड़ियों (आटोमोबाइल) की मरम्मत करने का ज्ञान।

(दो) व्यावहारिक दृष्टि से अग्निशमन और भयंकर अग्नि काण्ड पर काबू पाने का अनुभव।

9—अधिमानी अर्हताएं—अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा, जिसने :—

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

10—आयु—नीचे उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जाय, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायं और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित न्यूनतम से कम और अधिकतम से अधिक नहीं होनी चाहिए।

	न्यूनतम	अधिकतम
(एक) निदेशक/संयुक्त निदेशक	35	45
(दो) मुख्य अग्निशमन अधिकारी	23	35

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर, अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11—चरित्र—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी : संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12—वैवाहिक प्रास्थिति—सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

13—शारीरिक स्वस्थता—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना न हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय। परीक्षा के विनियम और शारीरिक मानदण्ड वही होंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में सीधी भर्ती पर लागू होते हैं।

भाग-पांच—भर्ती की प्रक्रिया

14—रिक्तियों का अवधारण—सचिव वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी।

15—सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1) चयन के लिये विचारार्थ आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे जिसे आयोग के सचिव से मुफ्तान करने पर, यदि कोई हो, प्राप्त किया जा सकता है।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतने अभ्यर्थियों को जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों, साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने वह उचित समझे।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणताक्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर, योग्यता-क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16—निदेशक, संयुक्त निदेशक और मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—निदेशक और संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर और मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर योग्यता के आधार पर, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (परामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायगी।

17—उप निदेशक (प्राविधिक) और कमान्डेन्ट, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(1) उप निदेशक (प्राविधिक) और कमान्डेन्ट, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, चयन समिति के माध्यम से की जायगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(एक) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, गृह विभाग।

(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग।

(तीन) पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची, ज्येष्ठता-क्रम में, तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता-क्रम में तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

18—संयुक्त चयन सूची—यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गयी सूचियों से बारी-बारी से लिये जायेंगे, पहला नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से होगा।

भाग ६:—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

19—नियुक्ति—(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति चयन में यथाअवधारित या उस संबंध में जिसमें उन्हें पदोन्नति किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से अधिक अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इसमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेंगी, और जहां पद आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, वहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5 (क) के उपबन्ध लागू होंगे।

20—प्रशिक्षण—सेवा में भर्ती किये गये व्यक्तियों को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाय।

21—परिवीक्षा—(1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों सिवाय, परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

22—स्थायीकरण—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में, स्थायी कर दिया जायगा, यदि—

(क) उसने अपेक्षित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है ;

(ख) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय;

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

23—ज्येष्ठता—(1) एतद्पश्चात् यथाउपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं, तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति को मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और अन्य मामलों में, उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 18 के उप नियम (3) के अधीन या जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्ति युक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उनकी पदोन्नति की गयी।

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या एक से अधिक स्रोत से की जायें और स्रोतों का अलग-अलग कोटा विहित हो, वहां उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम 18 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में, चक्रानुक्रम में, उनके नाम रखकर ऐसी रीति से अवधारित की जायगी कि विहित प्रतिशत बना रहे :

परन्तु —

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जायं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को, ज्येष्ठता के लिये अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में जिसमें/जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे रखा जायगा।

(दो) जहां नियुक्तियां किसी स्रोत से विहित कोटा से कम हों, और ऐसी भरी न गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जायें, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, किन्तु उन्हें उस वर्ष की, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जाय, ज्येष्ठता इस प्रकार मिलेगी कि इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनके नाम सबसे ऊपर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नाम, चक्रानुक्रम में, रखे जायेंगे।

भाग-सात—वेतन इत्यादि

24—वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हों या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं :

पद का नाम	वेतनमान
1—निदेशक	1840-60-1900-75-2200-100-2,400 रुपया।
2—संयुक्त निदेशक	1,540-60-1,800-द० रो०-75-2,200 रुपया।

3—उप-निदेशक (प्रशिक्षक) 4—कमाण्डेण्ट, अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र	1,250-50-1,300-60-1,660-द० रो०-60-1,900-75-2,050 रुपया।

टिप्पणी—ऊपर 3 और 4 के सामने प्रदर्शित पदों के वेतनमान समान होने के कारण इन पदों को धारण करने वाले अधिकारियों का स्थानान्तरण एक पद से दूसरे पद पर किया जा सकता है।

5—मुख्य अग्निशमन अधिकारी	850-40-1,050-द० रो०-50-1,300-60-1,420-द० रो०-60-1,720 रु०।

25—परिवीक्षा-अवधि में वेतन—(1) फण्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा-अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

26—दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड—(1) जहां एक ही दक्षतारोक हो, वहां किसी व्यक्ति को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, समुचित पर्यवेक्षण न रखा हो, उसका कार्य और आचरण अन्यथा सन्तोषजनक न पाया जाय, और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में पूर्णतया योग्य न पाया जाय, उसका कार्य और आचरण अन्यथा सन्तोषजनक पाया न जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग-आठ—अन्य उपबन्ध

27—पक्ष-समर्थन—किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियम के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

28—अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

29—सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहां सरकार का यह समाधान हो गया है कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसे वह मामलों में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है :

परन्तु यदि नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, तो उस नियम से अभिमुक्ति देने या उसको शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

30. व्यावृत्ति—इस नियमावली का किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों को अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

[नियम 4 (2) देखिये]

अग्निशमन सेवा और उसमें सम्मिलित प्रत्येक श्रेणी के पदों की स्वीकृत स्थायी और अस्थायी सदस्य-संख्या निम्न प्रकार है :

1—निदेशक (अस्थायी)	1
2 संयुक्त निदेशक (अस्थायी)	1
3 उप निदेशक (प्राविधिक) (स्थायी)	1
4—कमाण्डेण्ट, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद (स्थायी)	1
5—मुख्य अग्निशमन अधिकारी (स्थायी)	11

उप निदेशक (प्राविधिक) और संयुक्त निदेशक के पदों के सृजन के कारण जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, 800-1,450 रुपये के वेतनमान में राज्य अग्निशमन अधिकारी के एक (स्थायी) पद को आत्मसात किया गया है।